

श्री-
4660
17/12/09

राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय खान एवं भू विज्ञान

DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY,

खनिज भवन/Khanij Bhawan, उदयपुर/Udaipur - 313 001.

दूरभाष/Phones: 2415091-95, फेक्स / Fax: (0294) - 2410526

क्रमांक: निखामू/अज/सीसी-5/प1(1)26/92/2695

दिनांक: 9-12-09

आदेश

चूंकि श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र श्री सूरजकरण जैन, निवासी टोक के पक्ष में निदेशालय के आदेश क्रमांक निखामू/अज/सीसी-2/प1(1)26/92/1408 दिनांक 11-09-02 द्वारा वास्ते खनिज मायका, फैंल्सपार, क्वार्टज का क्षेत्र 5.00 हैक्टर का खननपट्टा निकट ग्राम शम्भुनगर तहसील केकडी जिला अजमेर में संविदा पंजीयन की तिथि से 20 वर्ष के लिये स्वीकृत किया गया। जिसका संविदा पंजीयन दिनांक 31-03-2003 को हुआ। इस प्रकार संविदा पंजीयन दिनांक 31-03-2003 से उक्त खनन पट्टा पट्टाधारी श्री प्रेमचन्द जैन के पक्ष में प्रभावशील है।

खनि अभियन्ता, अजमेर द्वारा पत्र क्रमांक: खअ/अज/ख.प./26/92/4630 दिनांक 09-09-2009 से अवगत कराया है कि पट्टाधारी द्वारा उक्त खननपट्टा का हस्तान्तरण सर्वश्री आयुषी माईनिंग एण्ड मिनरल्स, बी-178, नन्दकिशोर पारीक मार्ग, बापु नगर, जयपुर के पक्ष में कराने हेतु हस्तान्तरण शुल्क के रूपया 500/- जरिये रसीद संख्या संख्या 478244/82 दिनांक 28-05-2009 से जमा कराते हुए हस्तान्तरण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः उक्त खनन पट्टे का हस्तान्तरण खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 37 में उल्लेखित शर्तों एवं निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत सर्वश्री आयुषी माईनिंग एण्ड मिनरल्स, बी-178, नन्दकिशोर पारीक मार्ग, बापु नगर, जयपुर के पक्ष में एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

1. खननपट्टा का हस्तान्तरण संविदा निष्पादन की दिनांक से प्रभाव में आयेगा।
2. इस आदेश के जारी होने की तिथि से 3 माह की अवधि में निर्धारित प्रपत्र में हस्तान्तरण संविदा निष्पादन करा लिया जावे।
3. हस्तान्तरण संविदा का निर्धारित अवधि में या सक्षम अधिकारी द्वारा बढ़ाई गई अवधि में निष्पादन नहीं होने की स्थिति में हस्तान्तरण स्वीकृति प्रतिसंहत (रिवोक) होगी।

निदेशक, 11/12/09

खान एवं भू विज्ञान विभाग,
राजस्थान-उदयपुर।

क्रमांक: निखामू/अज/सीसी-5/प1(1)26/92/2696-2708 दिनांक: 9-12-09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी:-

- 1- अतिरिक्त निदेशक (खान), जयपुर जोन जयपुर।
- 2- अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर वृत्त जयपुर।
- 3- खनि अभियन्ता, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक 4630 दिनांक 09-09-2009 के सन्दर्भ में।
- रजि.ए.डी. 4- श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र श्री सूरजकरण जैन, निवासी ग्राम चौदसेन, तहसील मालपुरा जिला टोक (राज0)।
- रजि.ए.डी. 5- सर्वश्री आयुषी माईनिंग एण्ड मिनरल्स, बी-178, नन्दकिशोर पारीक मार्ग, बापु नगर, जयपुर।
- 6- महानियन्त्रक भारतीय खान ब्यूरो, प्रथम मंजील, डी ब्लोक, सिविल लाईन, इन्दिरा भवन, नागपुर।
- 7- क्षेत्रिय खान नियन्त्रक, भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
- 8- जिला कलक्टर, अजमेर।
- 9- सम्भागीय आयुक्त, अजमेर।
- 10- महालेखाकार, राजस्थान- जयपुर।
- ✓ 11- अधीक्षक भूवैज्ञानिक, रिमोट सेंसिंग, के0का0, उदयपुर।
- 12- सहायक निदेशक (सांख्यिकीय) के.का., उदयपुर
- 13- रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण खनि अभियन्ता(मु00A)